राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

(Oath or Affirmation by the President

अनुच्छेद 60

राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ एवं भत्ते → Art. 59(3)
(The Emoluments and Allowances of the President)

- संसद विधि द्वारा नियत करे Parliament may by law appoint

- राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो आयकर से मुक्त होता है । The President's salary is paid from the Consolidated Fund of India, which is exempt from income tax. → Free

वेतन ⇒ Art. 59(3)

↳ निर्धारण ⇒ संसद

↳ भारत की संचित निधि → Art. 266

↳ कर मुक्त (Tax free)

↳ Control नियंत्रण ⇒ संसद (Parliament)

⇒ 5 Lakh's रु०

↳ Per Month ⇒ प्रत्येक माह

राष्ट्रपति पर महाभियोग

Impeachment of the President

- अनुच्छेद 61 इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण (Viola- tion) किये जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) चलया जा सकता है। Article 61 According to this, if the President violates the Constitution, impeachment can be initiated against him.

- महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है । Impeachment is a quasi-judicial process conducted by the Parliament.

- महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।" A motion of impeachment can be introduced in either House of Parliament."

महाभियोग → Impeachment → Art. 61 (अमेरिका से लिया गया है।)

↳ राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया

↳ आधार (Base) ⇒ संविधान का अतिक्रमण / उल्लंघन
Voilation of constitution

⇒ महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion)

① प्रस्ताव की सूचना (Information of Motion) ⇒ राष्ट्रपति को देना।

↳ Before 14 day's (14 दिन पूर्व)

↳ नोटिस (सूचना) ⇒ पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर (signature)
जिस सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है।

Q. महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में होती है?

↳ किसी भी सदन में (either House of Parliament) LS/RS

ex. → शुरुआत → (LS) ⇒ ① नोटिस (14 दिन पहले)
↳ 1/4 members signature

(LS) ⇒ total members ⇒ 543
543 × 50% + 1

② LS में पेश (Introduced in LS)

③ LS में प्रस्ताव पर चर्चा (Discussion on the motion in LS)

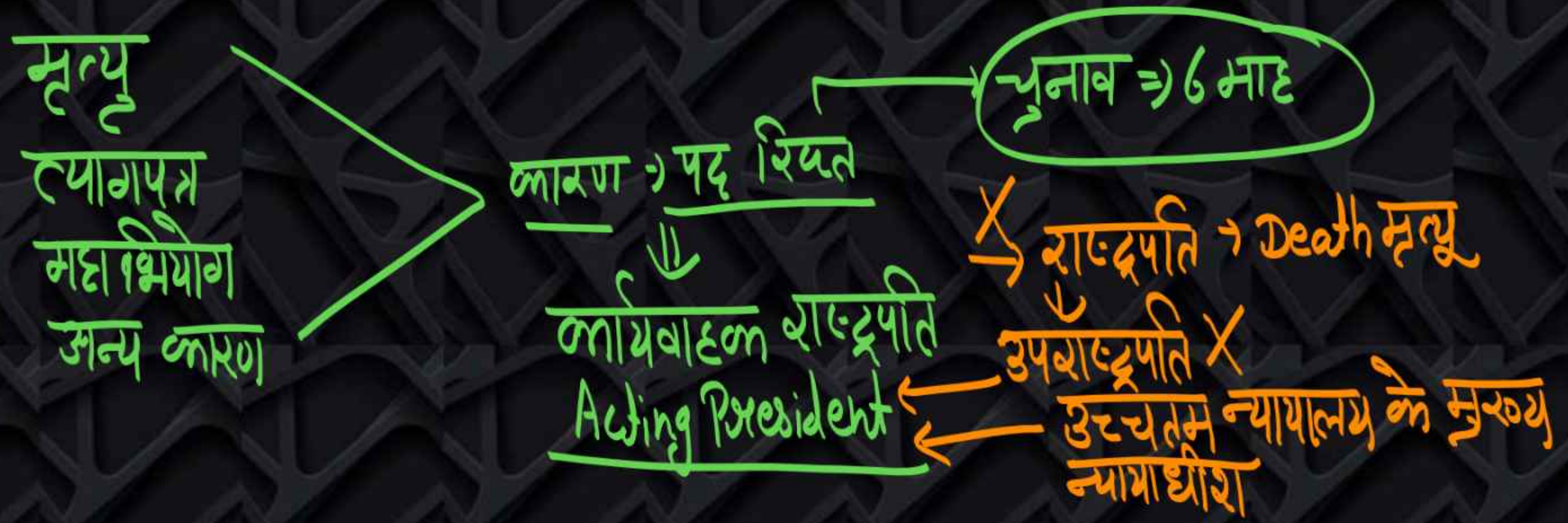
④ ⇒ LS में 2/3 बहुमत से पारित (Pass)

⇒ Pass ⇒ पारित ⇒ उपस्थित और मतदान (Present & Voting) × 2/3

(RS) ⇓ → ① पेश
② चर्चा
③ 2/3 बहुमत से पारित ✓

राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति
(Fulfill the Vacancy of President)

अनुच्छेद 62



- यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जायेगा । If the post of President falls vacant due to death, resignation, impeachment or any other reason, then elections will be held within 6 months to fill it.

- जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से (मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाये जाने या किसी अन्य कारण से) रिक्त होता है तो उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। When the office of the President falls vacant accidentally (due to death, resignation, removal or any other cause), the Vice-President acts as Acting President.

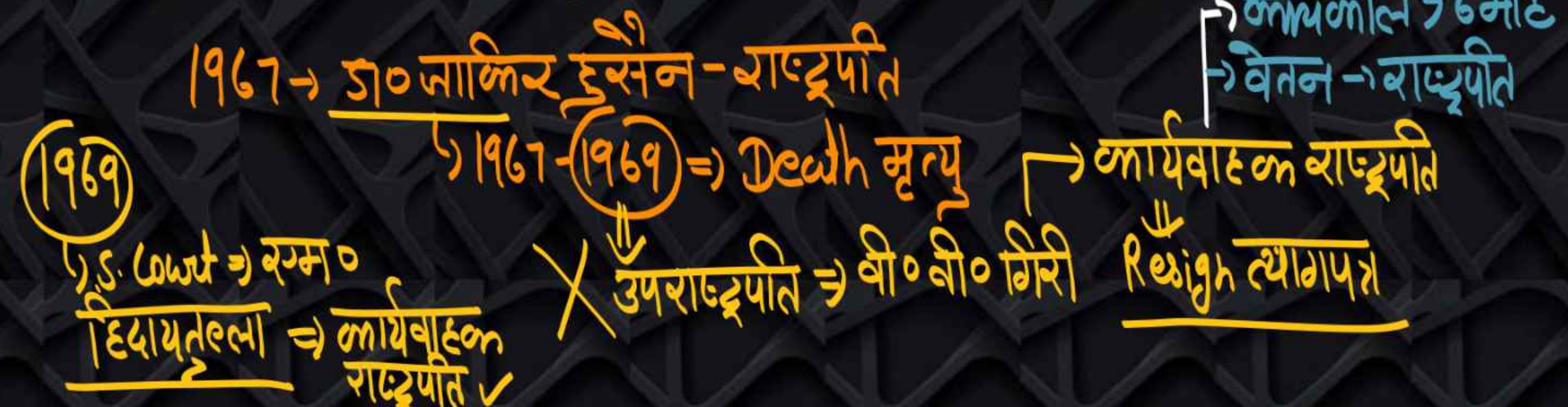
President ✗
उपराष्ट्रपति ✗
S. Court → मुख्य न्यायाधीश ✗

→ उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम
Most senior Judge of S. Court

1+
33

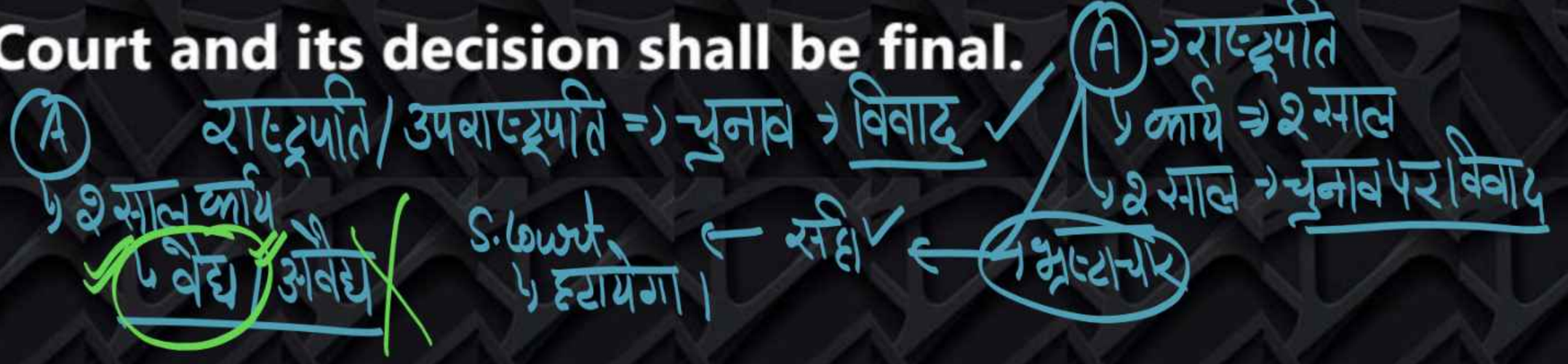
- उप राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्तता की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। If the post of Vice President is also vacant, then the Chief Justice of India and in the event of vacancy of the post of Chief Justice, the senior-most judge of the Supreme Court acts as the acting President.

- एम० हिदायतुल्लाह भारत के एक मात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था । M. Hidayatullah is the only Chief Justice of India who served as Acting President from 20 July 1969 to 24 August 1969.



राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवाद

- अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा। Article 71 states that disputes relating to the election of the President and Vice-President shall be decided by the Supreme Court and its decision shall be final.



कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Power)

- अनुच्छेद - 53 → पढ़ लेना है।
- अनु. 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं According to Article 77, all executive actions of the Government of India are performed in the name of the President.

- वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। He appoints the Prime Minister of India and other key officials of the Union.

⑥ → UPSC → chairman/members
⑦ → finanance comission वित्त आयोग etc.

Appointment नियुक्ति →
① PM
② union council of Ministers / संघीय मंत्रिपरिषद्
③ राज्यपाल (Governors)
④ Judges of Supreme or High court / उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
⑤ CAG →

विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

- संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्य सभा तीनों से मिलकर होता है* (अनुच्छेद-79)

Parliament is formed by the President, Lok Sabha and Rajya Sabha* (Article 79)

→ कानून बनाना।

- राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है The President has the power to summon the Parliament and announce its prorogation.

- राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम दो बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। The President is bound to convene at least two meetings of the Parliament in a year.

अनुच्छेद - 85 - लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है Article 85 - Lok Sabha can be dissolved before its fixed term

अनुच्छेद – 87 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करता है । Article 87 addresses the joint sitting of the two Houses of the Parliament.

अनु. 86 - संसद के किसी सदन को, लम्बित किसी विधेयक के सम्बन्ध में संदेश (Message) भेजने का अधिकार भी है । Article 86- There is also the right to send a message to either House of Parliament regarding a pending bill.

❖ अनुच्छेद-111

1. आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto)
2. निलम्बनकारी वीटो (Suspension Veto)
3. जेबी वीटो (Poket Veto)

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

- क्षमादान की शक्ति- अनुच्छेद-72 के तहत् राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardons) की शक्ति प्रदान की गयी है। Power of Pardon: Under Article 72, the President has been given the power of pardon.

- राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलम्बन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है The President can pardon or grant reprieve, remission, respite or commute the punishment of a person convicted of any offence

- परामर्श का अधिकार- अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Consult) का अधिकार दिया गया है Right to Consultation- Article 143 gives the President the right to consult the Supreme Court

- किन्तु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है But he is not bound to accept the opinion of the Supreme Court

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

- भारत की 'आकस्मिक निधि' (Contingency fund) पर भी उसका नियन्त्रण होता है । He also has control over India's 'Contingency Fund'.

अनु. 280 उसे एक वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त करने का भी अधिकार है Article 280 He also has the power to appoint a Finance Commission

सैन्य शक्तियाँ (Military Powers)

- भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना) का प्रधान सेनापति होता है, The President of India is the Commander-in-Chief of the three armed forces (Army, Air Force and Navy).

- उसे युद्ध घोषित करने तथा शान्ति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। He has the power to declare war and establish peace.

- वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है He also appoints the three army chiefs

राजनयिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers)

- राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है Appoints ambassadors and diplomatic representatives

- विदेशों से संधियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं, Treaties and agreements with foreign countries are also made in the name of the President.